क्रम-संख्या—68

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 14 मार्च, 2018

फाल्गुन 23, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

संख्या 621/14-2-2018-165जी-2017

लखनऊ, 14 मार्च, 2018

अधिसूचना

सा०प०नि०—20

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 51-क के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में शब्द "आरामिल की स्थापना और विनियमन" शीर्षक सहित जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द "काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन)" रख दिये जायेंगे।